

चेकलिस्ट क्रमांक-20

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत खरसिया व रायगढ़ वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन रकबा 0.7970, संरक्षित वन का रकबा 0.1517 हे. तथा राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) का रकबा 2.6271 हे. इस प्रकार कुल रकबा 3.5758 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैरवानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित है। व्यपवर्तन के इस प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। इसलिये इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती।



एम.वी. अरविन्द
(एम.वी. अरविन्द)

M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (परियोजना)

उप महाप्रबंधक (निर्माण)
गेल (इण्डिया) लिमिटेड

गेल (इण्डिया) लिमिटेड (Construction)
तेलीबाधा रायपुर (छ.ग.)

GAIL (India) Ltd. Raipur



वन परिक्षेत्राधिकारी
रायगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
खरसिया



वन परिक्षेत्राधिकारी
खरसिया



उप वनमण्डलाधिकारी
घरघोड़ा



उप वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़



वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़